डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री रवि प्रकाश , आर०ए०एस०

-: वादी :-	बनाम	-: प्रतिवादीगण :-
1. धन्नाराम पुत्र हरदेवराम जाति-माली, निवासी-रास, तहसील-जैतारण जिला-ब्यावर राज0।		1. तहसीलदार जैतारण, भूमिधारी राजस्थान तहसील-जैतारण जिला-ब्यावर।

व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती र्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी नियम, 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

मु0न0 :रा0वा0 स0: 164/2023
निर्णय व डिक्री दिनाँक : 06/02/2025

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु ....-........ व हाजरी श्री शाकिर हुसैन अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व सरकारी पैरोकार तहसीलदार, जैतारण प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद-वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955 एवं धारा- 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956, बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा- रास-1, पटवार हल्का रास-1, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र- रास, तहसील- जैतारण, जिला ब्यावर राजस्थान में स्थित खसरा नंबर 864 रकबा 4.4353 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल के भू अभिलेख में वादी बतौर खातेदार दर्ज "**घनश्याम पुत्र हरदेव**" के नाम की अशुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर वादग्रस्त आराजी के सही व वास्तविक खातेदार के नाम की शुद्ध एवं सही प्रविष्टि "**धन्नाराम पुत्र हरदेवराम**" दर्ज करते हुए खातेदार काश्तकार धन्नाराम पुत्र हरदेवराम को इनके हिस्से तक वादग्रस्त आराजी में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-...... फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 06/02/2025 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं प्रदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(रवि प्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)
(जिला-ब्यावर)

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्धायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	02-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	-	महनताना वकील	
महनताना वकील	-	खर्चा गवाहान	Nil
खर्चा गवाहान	02-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	-	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजानः-	06-00	मिजानः-	Nil

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।